

नं. 2142/2020

तारीख रजू

मनफुल

बनाम

कमला वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

19.06.2020

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायल ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को-पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी. ख0 नं0 1029, 895, 442, 443, 719, 688 वाके ग्राम तुसारी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 28.07.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 28.07.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (उपखण्ड अधिकारी)  
कठूमर (अलवर)

28.7.20

Copy 19  
29.9.2020

मे डर च लाग लर  
चक्षु है

8.2020

पत्रावली काज शूल वाद के साथ पेश हुई। मूल वाद प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कां ख्याति का लिखा है। अतः प्रार्थना पत्र यथांगे जमाने का कोई अर्थिलता नहीं है। प्रार्थना

कठूमर  
मनफुल  
अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>212 RTI की सारांशि भिन्न जाती          है। पत्रावली को माल सुमा एवम् 200          काद के खान भर्ती न रहे। सुन्नाथा 18/8          2017</p>	